

मालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिलाबून्दी(राज०)

पत्र संख्या :- 44 / 2015

दायर दिनांक: 15.04.2015

GCMS NO:- 2015/00160

पीठासीन अधिकारी :- श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जयें भूमिधारी तहसीलदार नैनवाँ

- वादी

बनाम

1. श्री मदन सिंह हाडा आईएलआर हाल तहसीलदार किशनगढ़
2. श्री जानकीलाल मीणा पटवारी हाल तह० तालेडा
3. महेन्द्र कुमार आ० प्रेमचन्द महाजन बोहरा निवासी नैनवाँ
4. बुद्धिप्रकाश आ० शोभाराम धाकड निवासी मानपुरा
5. चेताराम आ० गोमदा धाकड
6. श्यामा देवी पत्नी ललित कुमार
7. गुणमाला पत्नी कमल कुमार महाजन
8. मुकेश कुमार आ० हरिशंकर निवासी नैनवाँ

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट

उपरिस्थिति:-

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवाँ।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री सूर्य कुमार जैन एवं श्री सत्यनारायण लवानिया।

निर्णय दिनांक 18.08.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा नैनवाँ प्रथम में भूमि खसरा संख्या 6150/4456 रकबा 2-00 बीघा स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 31.10.77 को आवंटी मेवा आ० श्रवण गूजर को नियमन हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 लगायत 8 है। यह कि आवंटित भूमि की तरमीम 26.03.02 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 आईएलआर एवं पटवारी द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आवंटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरुद्ध है अतः कृपया ग्राम/कस्बा नैनवाँ प्रथम की भूमि खसरा सं. 4456 रकबा 2-00 बीघा में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने जवाब दावा में वाद पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 4 स्वीकार की तथा निवेदन किया कि खसरा संख्या 4456 में 2 बीघा भूमि वाके कस्बा नैनवाँ एडवाईजरी कमेटी मु० नैनवाँ द्वारा दिनांक 31.10.1977 को मेवा आ० श्रवण कौम गूजर निवासी नैनवाँ के नाम नियमन की गई थी। उक्त भूमि पर गैरखातेदारी एवं खातेदारी मिलने के बाद एवं खातेदार नेवा के फौत होने के बाद उनके वारिसान मोरपाल वगैरह के नाम दर्ज हुई है। लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा नक्शे में तरमीम नहीं की गई जो नियमन के वक्त ही तरमीम की जानी चाहिए थी। मोरपाल आ० मेवा द्वारा दिनांक 18.03.2002 को तत्कालीन तहसीलदार साहव के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा नियमानुसार तरमीम करने



Reader/Decesion/2021

उपखण्ड अधिकारी


नैनवाँ (बून्दी)

Page 99

पेश दिया गया था। जिस पर मेरे द्वारा खसरा संख्या 4456 में मौके पर कब्जे का काश्त के पटवारी के द्वारा पेन्सीली तरमीम करने के बाद पुख्ता तरमीम की गई थी जिसके खसरा नम्बर 4456/2 अंकित किये जाकर नवशा लट्ठा पर तरमीम का नोट अंकित किया गया था। आवंटन नियमन कमेटी के द्वारा कब्जे के आधार पर ही नियमन किया जाता है। वक्त नियमन वर्ष 1977 में कोई सडक नहीं थी। नियमन शुदा भूमि के पास से कालान्तर में सडक निकली तो उससे नियमन शुदा भूमि का कब्जा परिवर्तन नहीं किया जा सकता था, सडक के पास नियमन शुदा भूमि को नहीं रखा गया। नियमन शुदा भूमि के पास से सडक निकली है। खातेदार कृषकों के कब्जे वाले स्थान को छोड़कर अन्य स्थान पर तरमीम करना नियमों के विपरीत होने से नियमन शुदा भूमि की तरमीम मौके पर कब्जे के आधार पर की गई थी। कृषि भूमि नियमन की गई है, आवंटन नहीं की गई है। कृषि भूमि नियमन कब्जे के आधार पर किया जाता है जिसमें कृषक का पूर्व से कब्जा होता है। कृषि भूमि में आवंटन के बाद कब्जा दिया जाता है, तरमीम मौके पर कब्जे काश्त अनुसार की गई है। जो लेण्ड रेवेन्यु लेण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 59,60,61 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत होने से वैधानिक है। अतः अप्रार्थी सं० 1 की विरुद्ध वाद को खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण महेन्द्र कुमार, बुद्धिप्रकाश, चेताराम, श्यामा देवी, गुणमाला एवं मुकेश कुमार की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया गया कि खसरा संख्या 4456 में 2 बीघा भूमि वाके ग्राम नैनवां आवंटन सलाहकार समिति मु. नैनवां द्वारा दिनांक 31.10.1977 को मेवा आत्मज श्रवण कौम गूजर निवासी नैनवां के नाम नियमन हुई थी। उक्त भूमि पर गैर खातेदारी एवं खातेदारी मिलने के बाद खातेदार मेवा के फौत होने के बाद उसके वारिस मोरपाल वगैरा के नाम पर दर्ज हुई थी। लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों के द्वारा नक्शे में तरमीम नहीं की गई जो नियमन के वक्त की जानी चाहिए थी। मोरपाल आ० मेवा द्वारा दिनांक 18.03.2002 को तत्कालीन तहसीलदार साहब के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने पर उनके द्वारा नियमानुसार तरमीम करने हेतु आदेश दिया गया था। जिस पर मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार पटवारी जी व कानूनगो द्वारा सही तरमीम की गई थी। जिसके खसरा नम्बर 4456/2 अंकित किये गये थे। नियमन शुदा भूमि के पास से कालान्तर में सडक निकली तो उससे नियमन शुदा भूमि का कब्जा परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। यह कि नियमन कब्जे के आधार पर किया जाता है जो विधि सम्मत व नियमानुसार किया गया था। यह कि मेवा आ० श्रवण गूजर जिसके पक्ष में नियमन हुआ वह अथवा उसके वारिसान आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाये गए, इसलिए भी कानूनी तौर पर चलने योग्य नहीं होकर खारिज फरमाये जाने योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र, जवाब वाद पत्र एवं बहस में दिये गए तर्कों पर मनन किया तथा प्रस्तुत रेकार्ड साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन किया। जिसके अनुसार यह पाया गया कि उक्त विवादित भूमि खसरा संख्या 4456 में 2 बीघा भूमि वाके कस्बा नैनवां एडवाईजरी कमेटी मु० नैनवां द्वारा दिनांक 31.10.1977 को मेवा आ० श्रवण कौम गूजर निवासी नैनवां के नाम नियमन की गई थी। उक्त भूमि पर गैरखातेदारी एवं खातेदारी मिलने के बाद एवं खातेदार नेवा के फौत होने के बाद उनके वारिसान मोरपाल वगैराह के नाम दर्ज हुई है। इसके बाद जर्ज पंजीकृत विक्रय पत्र से विधिवत खरीद कर कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि पर काबिज रहकर प्रतिवादीगण उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। स्वयं वादी ने मौके पर हो रही तरमीम एवं प्रतिवादी के कब्जे को सही मानते हुए जाँच रिपोर्ट तैयार की जिसके आधार पर उक्त भूमि का परिवर्तन आदेश सक्षम उच्चाधिकारियों द्वारा जारी किया गया है। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नहीं की है। आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार वादी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नहीं किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नहीं किया है, जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के



Collector/Deccision/2021

सुब्रह्मण्य
उपरखण्ड अधिकारी Page 100
नैनवां (हन्दी)

मे दस्तावेजी साक्ष्य यथा आवंटन आदेश/नियमन आदेश, तरगीम आदेश, सुपुर्दगीनामापेश आदि
किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नहीं होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.
08 2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ
नैनवाँ (बून्दी)